तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 113/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला, माली थलियों का बास, होटल सिटी पेलेस के पीछे, नई सड़क जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.05.19 में उसके द्वारा (1) माननीय शहर विधायिका के पत्र दिनांक 20.02.19 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि इस पर की गई कार्यवाही संबंधी पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय टिप्पणी, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 858 दिनांक 10.07.19 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री विश्वेश्वर नाडोला को इस कार्यालय के पत्रांक 631 दिनांक 21.05.19 द्वारा कुल 01 पृष्ठा की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूाये राशि रूपये 2/– इस कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा वांछित राशि इस कार्यालय में जमा नहीं कराये जाने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत अवधि में प्रार्थी को सूचना के लिए निर्धारित शुल्क राशि जमा कराने बाबत् सूचित कर दिया गया अतः कार्यालय स्तर पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है तथा अपीलार्थी से आग्रह किया जाता है कि वो अब भी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो निर्धारित शुल्क राशि कार्यालय में जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	